संख्या-135/2018/1623/71-1-2018-जी-291/2017

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 मई, 2018

विषय:- प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों से उत्सर्जित होने वाले बायोमेडिकल पदार्थ संकलित कर उससे शोध किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-1/2018/1233, दिनॉक 25-04-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों से उत्सर्जित होने वाले बायोमेडिकल पदार्थ संकलित कर उससे शोध किये जाने हेतु एडवी केमिकल प्रा0लि0, थाणे, महाराष्ट्र को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(क) एडवी केमिकल प्रा0लि0, थाणे, महाराष्ट्र द्वारा फ्लूड एवं ब्लड बैग का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान के लिये ही किया जायेगा अन्य किसी कार्य के लिये नहीं।

(ख) उक्त लिक्विड बायो वेस्ट का निस्तारण समय-समय पर निस्तारण हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(ग) फ्लूड एवं ब्लड बैग का उपयोग करते समय यदि जनहित में किसी प्रकार की स्वास्थ्य की हानि पहुंचती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व एडवी केमिकल प्रा0लि0, थाणे, महाराष्ट्र का होगा।

(घ) उक्त स्वीकृति बिना किसी अग्रिम सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

संख्या:-135/2018/1623(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, झॉसी, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, बॉदा तथा बदायूँ।
4- एडवी केमिकल प्रा0लि0, थाणे, महाराष्ट्र।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।